<u>महत्वपूर्ण</u>
<u>अनुस्मारक</u>
<u>संख्या-11/2024/688/तीस-4-2024-4099/3/2023</u>

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
(3) समस्त प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम/निगम, उ0प्र0।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(5) समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2024

विषयः पन्द्रह वर्ष एवं इससे अधिक पुराने सरकारी/अर्द्ध-सरकारी वाहनों को स्क्रैप कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत पत्र संख्या-90/तीस-4-2023, दिनांक 23.01.2023 एवं तत्क्रम मे प्रेषित पत्र संख्या-260/तीस-4-2023, दिनांक 20.02.2023, पत्र संख्या-आई/284695/2023, दिनांक 04.03.2023 तथा पत्र संख्या-1053/तीस-4-2023, दिनांक 02.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि संदर्भित पत्र दिनांक 23.01.2023 द्वारा आपके विभाग/निगम/निकाय आदि में संचालित पन्द्रह वर्ष एवं इससे अधिक पुराने सरकारी/अर्द्ध-सरकारी वाहनों के सम्बन्ध में वांछित सूचना उक्त वाहनों को स्क्रैप कराये जाने की सम्भावित समय सीमा गूगल शीट लिंक में निर्धारित प्रारूपों पर प्रविष्ट कराते हुए उपलब्ध कराने तथा प्रश्नगत वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्रों (आर0वी0एस0एफ0) के माध्यम से निर्धारित समयावधि के अन्दर स्क्रैप कराये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गयी थी, ताकि भारत सरकार द्वारा संचालित 'पूँजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना' का अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

तत्क्रम में संदर्भित पत्र दिनांक 20.02.2023, 04.03.2023 एवं 02.08.2023 द्वारा विषयगत प्रकरण में निर्धारित प्रारूपों पर उपरोक्तानुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराने एवं प्रश्नगत वाहनों को आर0वी0एस0एफ0 के माध्यम से स्क्रैप कराये जाने की पुन: अपेक्षा की गयी है।

1- ~~यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।~~
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- अवगत कराना है कि उपरोक्तानुसार अपेक्षित सूचना अधिकांश विभागों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण योजनान्तर्गत स्क्रैप होने वाले वाहनों की लक्षित संख्या अर्थात 5000 के सापेक्ष माह जनवरी, 2024 तक मात्र 1472 वाहनों को ही स्क्रैप किया गया है। फलस्वरूप प्रश्नगत योजना के भाग-ए के अन्तर्गत माइलस्टोन-2, जिसे 29 फरवरी, 2024 तक पूरा किया जाना था, को आंशिक रूप से ही पूर्ण किया जा सका है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे पुन: यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग/निगम/निकाय आदि में संचालित पन्द्रह वर्ष एवं इससे अधिक पुराने सरकारी/अर्द्ध-सरकारी वाहनों की उपरोक्तानुसार आर0वी0एस0एफ0 के माध्यम से स्क्रैपिंग हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ संदर्भित पत्रों द्वारा यथापेक्षित आवश्यक कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया वे अपने स्तर से भी सर्वसम्बन्धित से सम्पर्क/समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही की अद्यावधिक आख्या भारत सरकार/शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(4) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
(5) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
(6) क्षेत्रीय प्रबंधक, मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कार्पोरेशन (MSTC), भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, गोमती नगर, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

1- ~~यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।~~
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।